

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(सामान्य प्रश्न)

शैक्षणिक वर्ष: 2020–21

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0



छात्रों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू): शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0

प्रश्न सं. 1. छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर: एनएसपी में होस्ट की गई विभिन्न योजनाओं को पात्रता मानदंड, प्रत्येक योजना में अलग-अलग हैं। भारत में अध्ययन करने वाले और विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न योजना दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विस्तृत दिशानिर्देश पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं।

Guidelines of Schemes are Available here.

Central Schemes | **UGC Schemes** | **State Schemes**

Ministry of Minority Affairs

Scheme	Closing Date	Defective Verification	Institute Verification
Pre-Matric Scholarships Scheme for Minorities	Closed on 15-11-2019	Closed on 10-12-2019	Closed on 10-12-2019
Post-Matric Scholarships Scheme for Minorities	Closed on 15-11-2019	Closed on 10-12-2019	Closed on 10-12-2019
Merit Cum Means Scholarship For Professional and Technical Courses (C)	Closed on 15-11-2019	Closed on 10-12-2019	Closed on 10-12-2019

प्रश्न सं. 2. छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर होस्ट की गई छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता है?

उत्तर: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर, छात्रवृत्ति योजनाओं की दो प्रमुख श्रेणियां हैं:

- क. मैट्रिक-पूर्व
- ख. मैट्रिकोत्तर/मेरिट-सह-साधन (एमसीएम)/प्रथम स्थान।

ये सभी ऑनलाइन योजनाएं हैं और कोई भी पात्र छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर इनमें से किसी भी योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। पोर्टल का URL है:

www.scholarships.gov.in

नया आवेदन

- i) एनएसपी के मुख्य पृष्ठ पर, नया उपयोगकर्ता योजना विवरण और अन्य अनिवार्य प्रासंगिक विवरणों का चयन करने के लिए “नया पंजीकरण” पर क्लिक कर सकता है।
- ii) पंजीकरण के बाद, आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर में एसएमएस के रूप में एक विशिष्ट आवेदन संख्या और पासवर्ड मिलेगा।
- iii) विशिष्ट आवेदन संख्या प्राप्त करने के बाद, आवेदक विस्तृत आवेदन पत्र के लिए लॉगिन पर क्लिक कर सकता है।

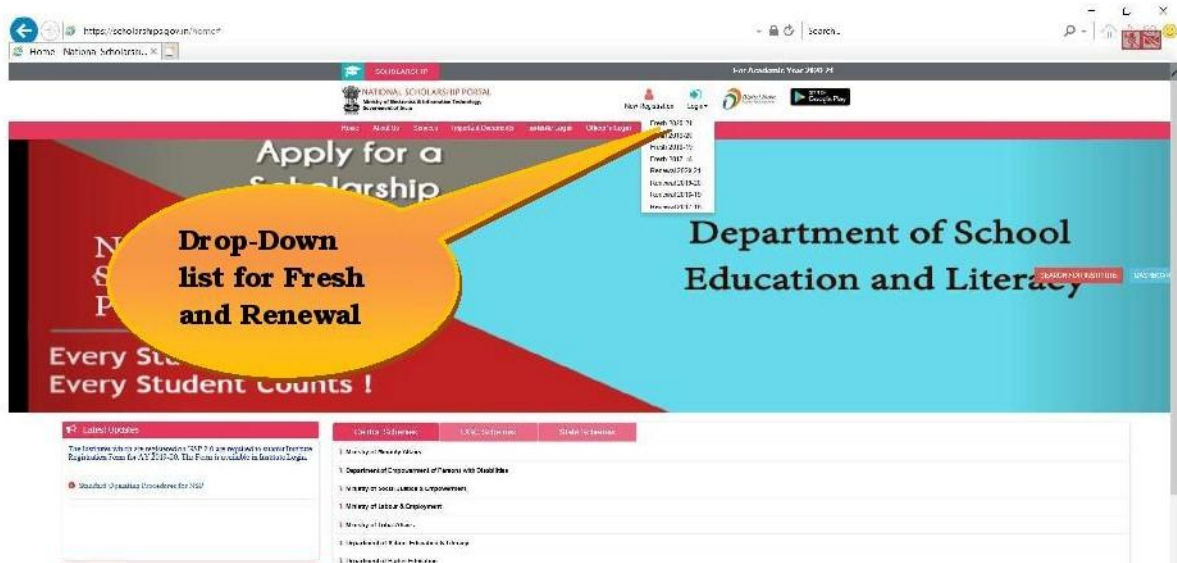


छात्र Google Play Store पर उपलब्ध समर्पित मोबाइल ऐप—National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए UMANG ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

छात्रवृत्ति नवीकरण

- i) मुख्य पृष्ठ पर, नया उपयोगकर्ता ड्रॉप-डाउन सूची प्राप्त करने के लिए लॉगिन विकल्प पर क्लिक कर सकता है जो बाद के शैक्षणिक वर्षों के लिए नया और नवीकरण प्रदर्शित करता है।



प्रश्न सं. 3. क्या आवेदक पहले से सहेजी गई जानकारी को कितनी बार संपादित कर सकता है?

उत्तर: आवेदक ड्राफ्ट/अधूरी जानकारी को जितनी बार चाहे संपादित कर सकता है, जब तक वह ऑनलाइन आवेदन को "अंततः सबमिट करें" पर क्लिक नहीं कर देता। आवेदन को संपादित करने के लिए, आवेदक को विकल्प 'छात्र लॉगिन' पर जाना होगा, आवेदन आईडी दर्ज करनी होगी और फिर सबमिट "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

प्रश्न सं. 4. आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले आवेदक किन क्षेत्रों को संपादित कर सकता है?

उत्तर: आवेदक 'पंजीकरण विवरण' को छोड़कर सभी विवरणों को संपादित कर सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि एक बार आवेदक आवेदन को अंततः सबमिट कर देता है तो और इसे अगले स्तर पर भेज दिया जाएगा और उसके बाद आवेदन को आगे संपादित नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न सं. 5. यदि आवेदक यह देखे कि ऑनलाइन आवेदन में कुछ जानकारी को संशोधित करने की जरूरत है, तो आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद क्या करना चाहिए?

उत्तर: तुरंत नोडल अधिकारी (या तो संस्थान का नोडल अधिकारी या जिला/राज्य स्तर का नोडल अधिकारी) से संपर्क करें, जहां आपका आवेदन सत्यापन के लिए रखा हुआ है और उसे आपके आवेदन को "दोषपूर्ण" (डिफेक्टिव) के रूप में चिह्नित करने का अनुरोध करें। किसी भी आवेदन को दोषपूर्ण चिह्नित करने के बाद, इसे एक बार फिर आवेदक के लॉगिन में संपादन योग्य मोड में उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक पंजीकरण विवरण को छोड़कर, जानकारी को संपादित/संशोधित

कर सकता है, और इसे फिर से जमा कर सकता है।

प्रश्न सं. 6. ऑनलाइन आवेदन भरते समय यदि आवेदक को कुछ विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो आवेदक को क्या करना चाहिए?

उत्तर: आवेदकों को प्रदर्शित योजनाएं ऑनलाइन आवेदन और योजनाओं की पात्रता मानदंड प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करती हैं। आवेदक दर्ज की गई सूचना की शुद्धता की सावधानीपूर्वक जांच करें और योजना के दिशा-निर्देशों से योजना की पात्रता मानदंड का अध्ययन करें। योजनाओं के दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आगे और सहायता के लिए आवेदक योजना संचालन मंत्रालय/विभाग से संपर्क कर सकता है जिसे नोडल मंत्रालय/विभाग भी कहा जाता है। नोडल मंत्रालयों/विभागों के संपर्क विवरण पोर्टल पर सेवा भाग के तहत उपलब्ध हैं।

प्रश्न सं. 7. यदि आवेदक ऑनलाइन अपना आवेदन पत्र भरते समय अपने विद्यालय या संस्थान को प्रतिबिंबित होता नहीं देख रहा है तो उसे क्या करना चाहिए?

उत्तर: ऐसा हो सकता है यदि आवेदक के संस्थान ने पाठ्यक्रम के स्तर और पाठ्यक्रम को अद्यतन नहीं किया है जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है। आवेदक को स्कूल/संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क करना चाहिए और उनसे संस्थान के प्रोफाइल में पाठ्यक्रम के स्तर और पाठ्यक्रमों को अपडेट करने का अनुरोध करना चाहिए। छात्रों को समान नाम वाले संस्थानों के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए, संस्थान का पूरा नाम और पता सावधानी से क्रॉस-चेक करने का भी सुझाव दिया जाता है।

प्रश्न सं. 8. क्या कोई आवेदक अपना पंजीकरण विवरण संपादित कर सकता है?

उत्तर: जी नहीं, आवेदक अपने पंजीकरण विवरण को संपादित नहीं कर सकता है। लेकिन, आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले, वह पंजीकरण वापस ले सकता है और नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न सं. 9. आवेदन पत्र में कौन से क्षेत्र अनिवार्य हैं?

उत्तर: लाल तारांकन चिह्न (*) के साथ दिए गए फील्ड अनिवार्य क्षेत्र हैं।

प्रश्न सं. 10. क्या आवेदक को एक ही चरण में ऑनलाइन आवेदन भरना होगा?

उत्तर: जी नहीं, आवेदक 'Save Draft' का उपयोग करते हुए कई चरणों में ऑनलाइन आवेदन भर सकता है, जब तक कि आवेदक संतुष्ट न हो कि उसने सभी वांछनीय क्षेत्रों में सही ढंग से प्रविष्टियां दर्ज की हैं। सॉफ्टवेयर हर चरण में आवेदन को सहेजने की सुविधा प्रदान करता है जब तक कि आवेदक 'Submit' बटन पर क्लिक नहीं कर देता।

प्रश्न सं. 11. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?

उत्तर: छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रत्येक योजना में भिन्न हो सकते हैं, और यह सुझाव है कि विवरण के लिए योजना दिशानिर्देशों की अच्छी तरह से जांच कर लें। हालांकि, छात्रवृत्ति की राशि 50,000/- रु. प्रति वर्ष से अधिक होने पर, निम्नलिखित दस्तावेजों को अधिकतर नए आवेदनों के लिए अपलोड करना आवश्यक है।

- i. योजना की अपेक्षा के अनुसार जाति/समुदाय प्रमाण पत्र।
- ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
- iii. योजना की अपेक्षा के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- iv. योजना की अपेक्षा के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एकल बालिका प्रमाणपत्र
- v. केवल आधार आधारित भुगतान के विकल्प का चयन न करने के मामले में, केवल बैंक खाता संख्या और आईएफएससी विवरणों को प्रतिबिंबित करते हुए बैंक पासबुक की स्कैन की गई प्रति (मैट्रिक-पूर्व योजना के लिए जहां छात्रों के पास अपना बैंक खाता नहीं है, माता-पिता/अभिभावक अपना खाता विवरण प्रदान कर सकते हैं)।
- vi. आवासीय/अधिवास प्रमाण पत्र।

प्रश्न सं. 12. बैंक खाता विवरण भरते समय आवेदकों को किन निर्देशों का पालन करना चाहिए?

उत्तर:

- i. आवेदकों को अपनी बैंक शाखा के आईएफएससी कोड को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
- ii. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दिया गया खाता विवरण सही है, और खाते में छात्रवृत्ति प्राप्त होने तक (पात्र आवेदकों के लिए) खाता चालू रहे।
- iii. यह सलाह दी जाती है कि छात्रवृत्ति संवितरण के पूरे कार्यकाल में एक ही बैंक खाते को बनाए रखा जाए।
- iv. यह सुझाव है कि सुचारु और परेशानी मुक्त छात्रवृत्ति संवितरण के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता होना चाहिए, हालांकि यह एक अनिवार्य अपेक्षा नहीं है।
- v. बैंक खाता धारक को बैंक से अपने "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) स्थिति की जांच

करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो छात्रवृत्ति राशि के सफल लेनदेन के लिए केवाईसी किया जाना चाहिए।

- vi. आवेदकों को तेजी से संवितरण के लिए अपने बैंक खाते को आधार के साथ जोड़ने की और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि खाता छात्रवृत्ति के संवितरण तक सक्रिय रहे।
- vii. छात्रवृत्ति के संवितरण छूट (सभी पात्र आवेदकों के लिए) तक बैंक खाता चालू/सक्रिय होना चाहिए ताकि भुगतान विफल न हो।
- viii. बैंक खाता अधिमानतः कोर बैंकिंग सुविधा वाले अनुसूचित बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार) में होना चाहिए।
- ix. मैट्रिकोत्तर/प्रथम स्थान/मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के मामले में, बैंक खाता केवल आवेदक/छात्र के नाम पर होना चाहिए। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के मामले में, बैंक खाता आवेदक/छात्र के नाम पर होना चाहिए या आवेदक का उसके माता/पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त खाता हो सकता है जैसा कि आवेदन में संकेत दिया गया है।

प्रश्न सं. 13. क्या बैंक खाते के विवरण को बदलने/अद्यतन करने का प्रावधान है?

उत्तर: छात्रवृत्ति संवितरण के पूरे कार्यकाल में एक ही बैंक खाता रखने की सलाह दी जाती है। आवेदक चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान बैंक विवरण को बदल/अपडेट नहीं कर सकता है। तथापि, बाद के शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति के नवीकरण के दौरान बैंक विवरण बदलने/अद्यतन करने का प्रावधान है। यह ध्यान दिया जाना है, कि आवेदक द्वारा बैंक खाते को बदलने का विकल्प एक शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल 'एक बार' तक कड़ाई से सीमित किया जाएगा।

एनएसपी प्रणाली आवेदक के मोबाइल नंबर पर, और आवेदक के लॉगिन डैशबोर्ड में पाठ संदेश भी भेजती है, यदि बैंक खाते के विवरण को बदलने/अपडेट करने की आवश्यकता होती है—आवेदकों को किसी भी अपडेट के लिए दोनों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

The screenshot shows the National Scholarship Portal (NSP) interface. The left sidebar contains links: HOME, Application Form, Update Registration Details (highlighted with a yellow speech bubble saying "Updating Bank Details"), Update Account Details, and Check Your Status. The main content area displays the "Registration Details" form with the following fields:

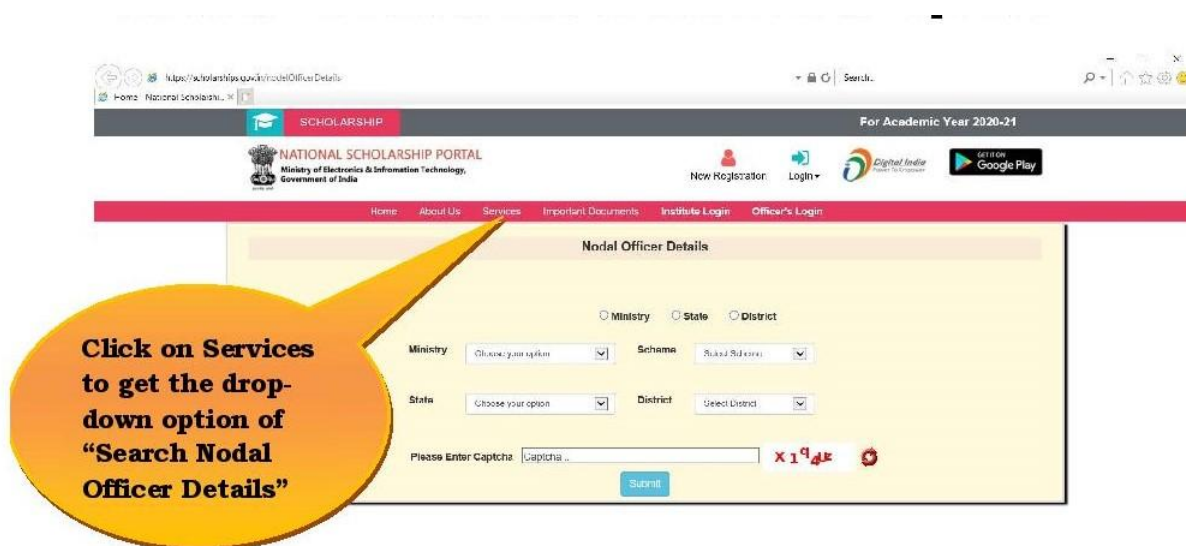
- State of Domicile: DELHI
- Name of Student: AJAY
- Gender: Male
- Scholarship Category: Post Matric/Top Class
- Single Girl Child: No
- Religion: Hindu (dropdown menu is open showing options: Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Parsi)
- Mother Name: [Empty field]
- Email Id: [Empty field]
- Academic Details: Select your Institute (dropdown menu is open showing "Choose your Option")
- Present Class/ Course: [Empty field]

प्रश्न सं. 14. यदि आवेदक अपने पाठ्यक्रम को प्रदर्शित हुआ नहीं देख पाता है, तो आवेदक को क्या करना चाहिए?

उत्तर: आवेदक को अपने प्रोफाइल में इसे जोड़ने के लिए अपने संस्थान से संपर्क करना चाहिए। राज्य नोडल अधिकारी आगे की सहायता के लिए संस्थान के साथ समन्वय कर सकता है।

प्रश्न सं. 15. आवेदक को मेरे राज्य के नोडल अधिकारी/राज्य विभाग का नाम और पता कैसे पता चलेगा?

उत्तर: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारी/राज्य विभाग का नाम और संपर्क विवरण "Services-> Search Nodal Officer Details" विकल्प में उपलब्ध हैं।

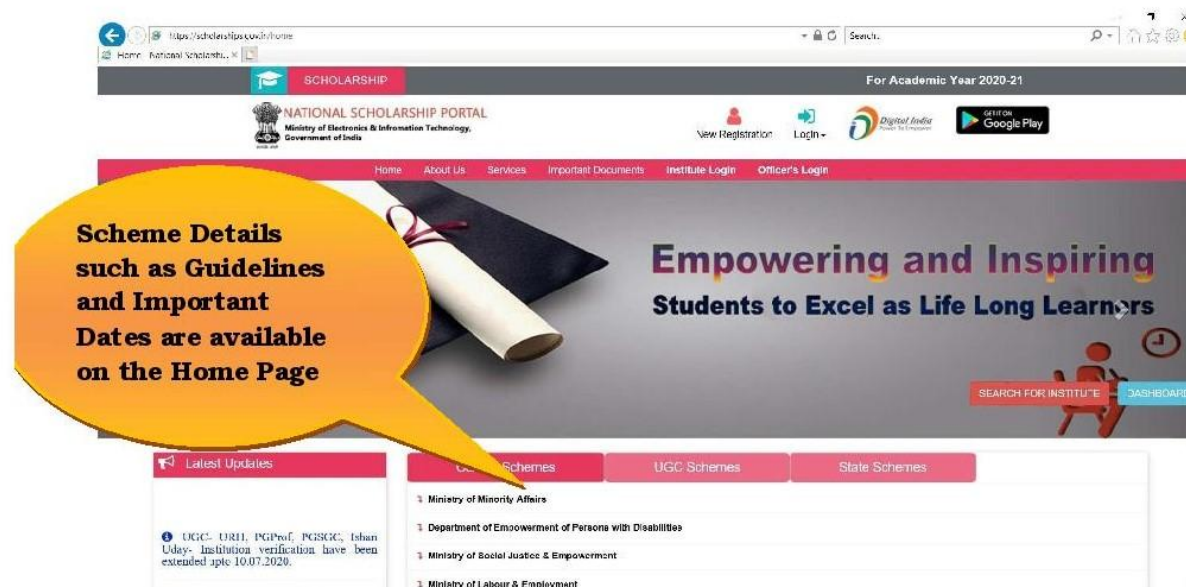


प्रश्न सं. 16. छात्र के आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

उत्तर: छात्र ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जाँच एनएसपी खाते में और 'अपनी स्थिति की जाँच करें' लॉगिन करके कर सकते हैं।

प्रश्न सं. 17. किसी विशेष योजना का विवरण कैसे देखें?

उत्तर: आप मुख्य पृष्ठ पर ऑन-बोर्डेड स्कीम्स सेक्शन में प्रदर्शित विशेष योजना के दिशानिर्देश लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।



प्रश्न सं. 18. आवेदक पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में लॉगिन की समस्या को कैसे दूर करेगा?

उत्तर: यदि आवेदक अपने छात्रवृत्ति का नवीकरण करते समय पासवर्ड भूल जाता है, तो लॉगिन पेज में 'पासवर्ड पुनर्प्राप्त करें?' विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। नए शैक्षणिक वर्ष के मामले में, मुख्य लॉगिन पृष्ठ में "पासवर्ड भूल गए?" विकल्प होगा। दोनों विकल्पों का भूल गए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- i) विकल्प का चयन करने पर, आवेदक को 'पासवर्ड भूल गए' पेज पर जाना होगा और आवेदक आईडी, और कैप्चा कोड लिखना होगा।
- ii) यह अगले पृष्ठ पर संकेत देगा, जहां आवेदक एक OTP नंबर प्राप्त करने के लिए अपना 'डीओबी' (जन्म तिथि) और पंजीकृत मोबाइल नंबर टाइप करेगा। नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए OTP का उपयोग किया जा सकता है।

क. नया आवेदन

The image shows a screenshot of the National Scholarship Portal (NSP) login page. The browser address bar shows the URL <https://scholarships.gov.in/home/loginpage>. The page header includes the National Scholarship Portal logo, the Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, and the Digital India Initiative logo. The page is for the Academic Year 2019-20. The main content area features a 'Login for Fresh Application' form. The form has fields for 'Application Id', 'Password', and 'Captcha'. Below the captcha field, there is a 'Login' button and a 'New Student? Register Here' link. A yellow speech bubble with the text 'Forgot Password' points to the 'Forgot Password?' link at the bottom of the login form. The page also includes a 'Scheme Wise Scholarship Sanctioned List' link.

ख. छात्रवृत्ति का नवीकरण

NSP - Login

Step to main content | Screen Header Access | Sitemap | Home

18 Aug 2019 12:58:11 UTC

National Scholarship Portal
Department of Electronics & Information Technology
Ministry of Communications & IT, Govt. of India

Log in to your account AY:2019-20
Application ID is same as last year (Student Registration ID)

Application ID
Password
CAPTCHA 985311

Can't find? Click on below link:

Forgot Password

Forgot Application ID?
Recover Password?
Update Mobile Number?

In case of completion of course, you can not apply for renewal.

Students eligible for renewal who achieved not to apply in fresh category as duplicate applications will be rejected by NSP. In you want to apply for Fresh, withhold your Renewal Application from NSP.

https://nsf.scholarship.gov.in/newad18/Student/PasswordByAppId

Step to main content | Screen Header Access | Sitemap | Home

18 Aug 07 08:59:31 UTC 2020

National Scholarship Portal
Department of Electronics & Information Technology
Ministry of Communications & IT, Govt. of India

Forgot Password

Application ID *

Captcha Code *

92367

Next

© Copyright 2019, National Scholarship Portal

Submitted Via: Mozilla Firefox, Chrome, Safari etc.

प्रश्न सं. 19. आवेदक आवेदन आईडी भूल जाने की स्थिति में लॉगिन की समस्या को कैसे दूर करेगा?

उत्तर: यदि आवेदक आवेदन आईडी भूल जाता है, तो लॉगिन पेज में 'आवेदन आईडी भूल गए?'

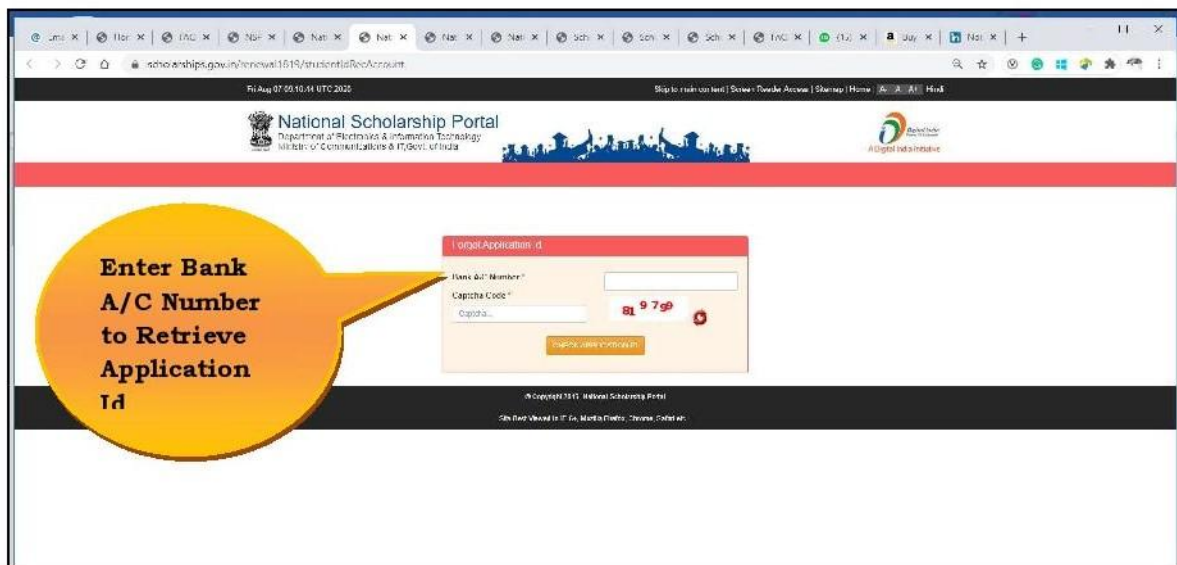
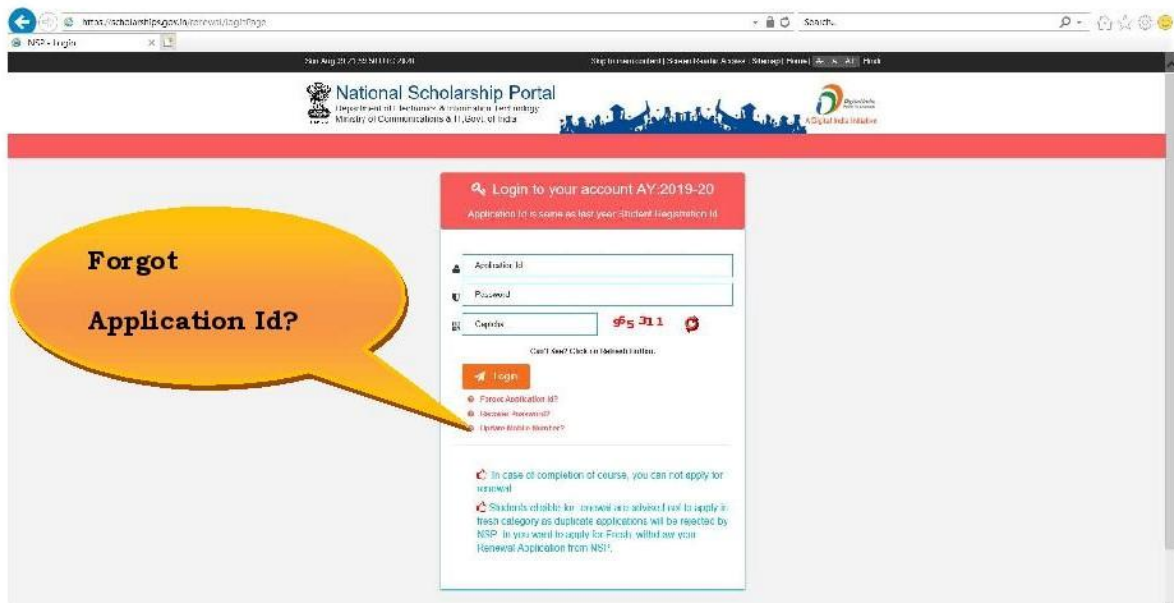
विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

- i) विकल्प का चयन करने पर, आवेदक 'आवेदन आईडी भूल गए' पेज पर जाएगा और आवेदकों को आवेदन आईडी की जांच और पता करने के लिए अपना बैंक खाता संख्या और कैप्चा टाइप करना होगा।

क. नया आवेदन

The screenshot shows the National Scholarship Portal (NSP) login interface. The header includes the portal's name, ministry, and government, along with a search bar and navigation links. A navigation bar contains links for 'New User? Register', 'Login to Apply', 'Apply for Renewal', 'Search Institute/School/ITI', and 'Scheme Wise Scholarship Sanctioned List'. The main content area features a 'Login for Fresh Application' box with fields for 'Application Id', 'Password', and 'Captcha'. Below these fields are links for 'Login', 'New Student? Register Here', 'Forgot Application Id?', and 'Forgot Password?'. A yellow speech bubble callout points to the 'Forgot Application Id?' link with the text 'Forgot Application Id?'.

ख. छात्रवृत्ति का नवीकरण



प्रश्न सं. 20. आवेदक अपना मोबाइल नंबर कैसे बदल सकता है?

उत्तर: मोबाइल नंबर बदलने का विकल्प केवल नवीकरण आवेदकों के लिए उपलब्ध है। मोबाइल नंबर बदलने के लिए, आवेदक को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे (नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है)। इसके बाद आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी का एनएसपी डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के साथ मिलान किया जाएगा और सफल मिलान के बाद, आवेदक अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं।

कृपया ध्यान दें, मामूली-सा बेमेल होने के मामले में भी, सिस्टम आवेदक को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदक के मोबाइल नंबर के परेशानी मुक्त परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए अपने पिछले वर्ष के आवेदन के प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित जानकारी दर्ज करें।

The screenshot shows the login page of the National Scholarship Portal. The header includes the portal's name and the Department of Information Technology, Ministry of Communications & IT, Govt. of India. The main content area is titled "Login to your account AY: 2019-20" and instructs users to enter their Application ID and Student Registration ID. It features input fields for "Application ID", "Password", and a "Captcha" field with a refresh button. A "Login" button is present, along with links for "Forgot Application ID?", "Recover Password?", and "Update Mobile Number?". A note states that users cannot apply for renewal after course completion and that eligible students should not apply in bulk as applications will be rejected by NSP. A "Can't See? Click on Refresh Button" link is also provided.

The screenshot shows the "Update Applicant Mobile Number" page on the National Scholarship Portal. It includes a "Verify Mobile" section with instructions: "Please ensure you are updating only the correct updated mobile number is updated, updates will not be allowed to change again" and "Information is provided is when mobile number is ready with below information that we will be then update". The form contains fields for "Application ID", "Applicant Name", "Student Name", "Enrollment No.", "Old Mobile Number", "New Mobile Number", "Email Address", "Date of Birth", "Bank Account Number", "Bank IFSC Code", and "Bank Branch Name". A "Verify" button is at the bottom. The footer shows the date "07/09/2019" and the version "Version 1.0.0.0".

प्रश्न सं. 21. क्या राज्यों/मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कोई विज्ञापन पोर्टल पर डालने का प्रावधान है?

उत्तर: छात्रवृत्तियों के विज्ञापन राज्य सरकार/केंद्र सरकार/मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों और कुछ मामलों में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।

पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन विज्ञापनों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रकाशित करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति फंडिंग राज्य/केन्द्रीय निकाय से प्राप्त संदेश के अनुसार विज्ञापन पोर्टल पर डाले जा सकते हैं।

प्रश्न सं. 22. पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में कैसे जानें?

उत्तर: मुख्य पृष्ठ पर सर्विसेज टैब विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए ड्रॉप-डाउन सूची प्रदान करता है।



प्रश्न सं. 23. यदि आवेदक अपने संस्थान के AISHE/DISE/ITI (NCVT) कोड को सही तरीके से जानता है, लेकिन पता और स्थान का सही पता नहीं है, या विलोमतः स्थिति है, तो आवेदक को सही जानकारी कैसे मिल सकती है?

उत्तर: सटीक AISHE/DISE/ITI (NCVT) संस्थान कोड के साथ संस्थान का स्थान और संस्थान कोड, और विलोमतः (संस्थान का पता/स्थान के साथ संस्थान कोड ढूंढना) नीचे दिए गए लिंक से जाना जा सकता है: <https://scholarships.gov.in/NSP1718/onlineInstituteSearchIndex>

प्रश्न सं. 24. पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान संस्थान, जिले के संबंध में, छात्रों को किस प्रकार की खोज सुविधा प्रदान की जाती है?

उत्तर: संस्थान नाम स्तर पर आंशिक नाम खोज सहित एक व्यापक खोज सुविधा उपलब्ध है। जिलों की एक ड्रॉप-डाउन सूची भी उपलब्ध है।

प्रश्न सं. 25. वे कौन से क्षेत्र हैं जो बिल्कुल संपादनीय नहीं हैं?

उत्तर: आधार और नामांकन आईडी किसी भी स्तर पर संपादनीय नहीं हैं और यह सुझाव दिया जाता है कि इन्हें बहुत सावधानी से भरा जाना चाहिए।

प्रश्न सं. 26. संस्थान आवेदक के फॉर्म में किन क्षेत्रों को संपादित कर सकता है?

उत्तर: संस्थान आवेदक के फॉर्म में केवल शुल्क विवरण को संपादित कर सकता है। पैनलिक वर्ष 2020-21 से आवेदक को शुल्क विवरण भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह संस्थानों द्वारा भरा जाएगा। संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम वार शुल्क (प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क और विविध शुल्क) विवरण दर्ज करने के लिए संस्थान के प्रोफाइल भाग में प्रावधान है। संस्थान स्तर पर आवेदन के सत्यापन के दौरान, ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्क संस्थान की प्रोफाइल में उपलब्ध विवरणों का उपयोग करके स्वतः भर दिया जाएगा। संस्थान विशिष्ट छात्रों को शुल्क घटकों के लिए दी गई विभिन्न छूटों के आधार पर, अलग-अलग आवेदनों के लिए शुल्क विवरण को संपादित कर सकते हैं। शेष विवरण केवल आवेदक द्वारा केवल अद्यतन/संशोधित किए जा सकते हैं।

सहायक उपकरण, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य शुल्क राशि विविध शुल्क घटक में संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऐसी वस्तुओं के बिल/रसीदों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

प्रश्न सं. 27. क्या आवेदक “नया” के रूप में आवेदन कर सकता है यदि वह एक नवीकरण उम्मीदवार है?

उत्तर: जी नहीं, आवेदक एक नए उम्मीदवार के रूप में आवेदन नहीं कर सकता है, यदि वह पहले से ही एक नवीकरण उम्मीदवार है। उस मामले में आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। यदि आवेदक किसी अन्य योजना में आवेदन करना चाहता है और नवीकरण आवेदन में योजना के साथ जारी नहीं रखना चाहता है, तो आवेदक को एनएसपी पर अपने नवीकरण के आवेदन को वापस लेना होगा और नए आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा वापस लिए गए नवीकरण आवेदन को निरस्त किया जा सकता है यानी दोबारा उसी योजना में शामिल किया जा सकता है यदि आवेदक ने अंतिम रूप से नया आवेदन जमा नहीं किया है। एक बार जब नया आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो नवीकरण आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता है।

प्रश्न सं. 28. क्या आवेदक अपना नवीकरण आवेदन वापस ले सकता है?

उत्तर: हां, आवेदक फाइनल सबमिशन से पहले अपना आवेदन वापस ले सकता है।

प्रश्न सं. 29. क्या होगा यदि आवेदक पिछले वर्ष से छात्रवृत्ति योजना को बदलना चाहता है?

उत्तर: आवेदक को फाइनल सबमिशन से पहले अपना आवेदन वापस लेना होगा, और फिर एक नई योजना में नए उम्मीदवार के रूप में आवेदन करना होगा।

प्रश्न सं. 30. तकनीकी समस्याओं के लिए आवेदक हेल्पडेस्क से कैसे संपर्क कर सकता है?

उत्तर: तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए, आवेदक समस्या की जानकारी helpdesk@nsp.gov.in पर ईमेल करके मुख्यतः समर्पित हेल्पडेस्क टीम से संपर्क कर सकते हैं। आवेदक हेल्पडेस्क संपर्क नंबर: 0120-6619540 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पडेस्क या एनएसपी कॉल सेंटर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान उभरे या पोर्टल से संबंधित किसी भी कार्यात्मक समस्याओं के लिए आवेदकों को सुविधा प्रदान करेगा।

ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करने में नोडल अधिकारी द्वारा देरी के लिए या छात्रवृत्ति के संवितरण से संबंधित किसी भी मुद्दे के संबंध में आवेदकों को योजना के संचालक मंत्रालय/विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

योजना संचालक मंत्रालयों/विभागों का संपर्क विवरण पोर्टल पर सेवा भाग के तहत उपलब्ध है।

प्रश्न सं. 31. यदि आवेदन के सत्यापन में असाधारण देरी हो रही है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर: एनएसपी पर छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन योजना के संचालक मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है, जिन्हें नोडल मंत्रालय/विभाग के रूप में भी जाना जाता है। आवेदक नोडल मंत्रालय/विभाग से और अधिक सहायता के लिए संपर्क कर सकता है। आवेदन के सत्यापन में देरी के बारे में कोई शिकायत या अभ्यावेदन सीधे योजना संचालन मालिक मंत्रालय/विभाग को भेजा या संबोधित किया जाना चाहिए। पोर्टल पर सेवा भाग के तहत नोडल मंत्रालय/विभाग के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं।